[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 33 /2021- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2021

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 154ग, उक्त अधिनियम की धारा 2 के उप-वाक्य (7ख) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, पंजीकरण, बिल ऑफ एंट्री को दायर करने, शिप्पिंग बिल, अन्य कागजात और फॉर्म जो कि उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत तत्समय लागू अन्य नियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम या विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हो, को दायर करने के लिए, शुल्क का भुगतान करने के लिए, उक्त अधिनियम के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत बनाए गए नियमो के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए और भारत के भीतर या उसके बाहर अन्य प्रणालियों से डाटा के आदान प्रदान के लिए यूनिफ़ोर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) https://www.icegate.gov.in, कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रोनिक पोर्टल अधिसूचित करता है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. स. 450/77/2021- सीमाशुल्क IV]

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव (सीमाशुल्क)